



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-429/NH-53/Electric/2024-25/2182

Date: 21.01.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of Tarsod-Fagne (Package-IIB) section of NH-53 from km 422.700 to km 510.000 in the State of Maharashtra to be executed on HAM Mode-National Highway crossing proposal for NH-53 (Jalgaon-Dhule Road) between KM stone no. 450 & km stone 451 of proposal 132kv DCDC Lilo on 132kv Erandon-Bambori tr. Line for proposed 132/33 kv Shirsoli S/S Dist. Jalgaon -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Jalgaon letter no. 51 dated 11.01.2025.
2. M/s MSETCL, Jalgaon letter no 704 dated 14.11.2024.

It is to inform all concern that M/s MSETCL letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PIU has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSRTC for subject section is as follows:
 - Crossing at km 450 & km 451. (between)
3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).
4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440001,
Maharashtra, Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

Akash
21/01/25
(Akash Chouksey)
Manager (Tech.)

Copy to:

- (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल: ronagpur@nhai.org वेबसाइट: www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail: ronagpur@nhai.org website: www.nhai.gov.in

एनएचआई/आरओ/एनएजी/यूटी-429/एनएच-53/इलेक्ट्रिक/2024-25/ 2182

दिनांक: 21.01.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 के तरसोद-फागने (पैकेज-IIबी) खंड को किमी 422.700 से किमी 510.000 तक चार लेन का बनाने का कार्य एचएएम मोड पर किया जाएगा - प्रस्तावित 132/33 केवी शिरसोली एस/एस जिला जलगांव के लिए 132 केवी एरंडोन-बाम्बोरी ट्रंक लाइन पर प्रस्ताव 132 केवी डीसीडीसी लिलो के किमी स्टोन संख्या 450 और किमी स्टोन 451 के बीच एनएच-53 (जलगांव-धुले रोड) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग का प्रस्ताव।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू जलगांव पत्र क्रमांक 51 दिनांक 11.01.2025।
2. मेसर्स एमएसईटीसीएल, जलगांव पत्र संख्या 704 दिनांक 14.11.2024।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईटीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीआईयू ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. मेसर्स एमएसआरटीसी द्वारा विषय अनुभाग के लिए प्रस्तावित संरक्षण निम्नानुसार है:

- किमी 450 एवं किमी 451 पर क्रॉसिंग। (देखें मध्य)

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपतियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपतियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपतियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी होने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपतियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001,

महाराष्ट्र, दूरभाष: 0712-2520091 ईमेल: ronagpur@nhai.org

Akash
21/01/25

(आकाश चौकस)

प्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]